

- (क) लेख-धर्म, संगठन की राह पर
- (ख) समाज टूट नहीं रहा तोडा जा रहा
- (ग) लोक पर भारी तंत्र समाधान सिर्फ लोक स्वराज्य
- (घ) भरत झुनझुनवाला द्वारा आलोचना और समीक्षा

## (क)धर्म, संगठन की राह पर

संपूर्ण विश्व में धर्म के दो अर्थ माने जाते हैं 1 गुण प्रधान 2 संगठन प्रधान। गुण प्रधान धर्म व्यक्ति के आचरण से जुडा रहता है और संगठन प्रधान पहचान से। गुण प्रधान व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव की अभिव्यक्ति होता है और संगठन प्रधान खानपान, वेषभूषा, पूजा पध्दति या चोटी दाढी की विभिन्नताओ का आधार बनाता है।

दो ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत में धर्म की गुण प्रधान परिभाषा ही प्रचलित थी। पहचान संबंधी भिन्नताएँ संगठन प्रधान न होकर गुण प्रधान ही थी। यज्ञोपवीत या चोटी संगठन की पहचान का आधार नहीं थी। धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुडा था। उस समय धर्म शब्द तो प्रचलित था किंतु हिन्दू शब्द नहीं था। व्यक्तिगत कर्तव्य ही धर्म होने से सबके धर्म भिन्न भिन्न थे । संगठन, गुण कर्म स्वभाव अनुसार वर्ण आश्रम और जाति के आधार पर बने थे, जो धीरे धीरे रुढ होकर विकृति मे भी बदल रहे थे । फिर भी धर्म का अर्थ जीवन पध्दति के साथ गहराई तक जुडा था । उपासना पध्दति के आधार पर बने संगठन संप्रदाय कहे जाते थे, धर्म नहीं । निर्णय का अन्तिम आधार वेद शास्त्र ही थे । यदि कोई विवाद होता था, तो अन्तिम निर्णय शास्त्रार्थ से होता था और ऐसा निर्णय ही सर्व मान्य था ।

ऐसे ही समय में जैन और बौद्ध सम्प्रदाय आया । दोनो को वेद के कुछ निष्कर्षो से असहमति थी । उस समय प्रचलित रुढिवादी विचारो से भी उनका विरोध था । दोनो ही हिंसा के बीच अहिंसा के प्रबल पक्षधर थे। दोनो यह समझते थे कि वेद हिंसा और अहिंसा के बीच अहिंसा के पक्ष में स्पष्ट नहीं है । इसलिये दोनो ने कुछ मामलो मे वेद से भी अलग धारणा प्रस्तुत की । परिणाम हुआ कि दोनो ही वैदिक मत से अलग सम्प्रदाय बने और शास्त्रार्थ की परिपाटी पर प्रश्न चिन्ह लगा ।

यद्यपि जैन और बुद्ध कुछ मामलो मे वेदो से भिन्न विचार रखते थे, किन्तु वह भिन्नता अहिंसा के पूरी तरह पक्ष मे थी, तथा भारतीय संस्कृति के विरुद्ध नहीं थी । बुद्ध ने

पहली बार धर्म को संगठन का स्वरूप दिया अन्यथा बुद्ध के पहले किसी अन्य महापुरुष ने धर्म को संगठन को संगठन का रूप न देकर संगठन को सम्प्रदाय तक ही सीमित रखा था । बुद्ध ने पहली बार धम्मं शरणं गच्छामि को संघं शरणं गच्छामि के साथ जोडा ।

बुद्ध और जैन के बाद धर्म को संगठन का स्वरूप दिया इशु मसीह ने । इशु मसीह ने भी अहिंसा का प्रबल समर्थन किया, किन्तु धर्म को संगठन का रूप देने की कोशिश की । भारत मे प्रचलित वैदिक धर्म से उनकी प्रणाली बिल्कुल अलग थी । शास्त्रार्थ के स्थान पर प्रेम सेवा और सदभाव को माध्यम बनाया गया । वैदिक धर्मावलम्बी विचार मंथन को सर्वोच्च महत्व देते थे । उनके स्थान पर इसाइयों ने धन को सर्वोच्च महत्व देना शुरू किया । धन और संगठन एक साथ जुडे और धीरे धीरे एक साथ जुडकर ज्ञान और विचार मंथन पर भारी पड़ने लगे । धर्म की व्यक्तिगत आचरण की वैदिक परिभाषा मे विकृति आनी शुरू हुई ।

कुछ सौ वर्षो बाद इस्लाम आया । उसने इसाइयत से भी आगे बढ़कर धर्म को पूरी तरह संगठन का स्वरूप देकर अहिंसा को भी छोड़ने का मार्ग अपना लिया । इस्लाम ने धर्म प्रचार के लिये हिंसा के प्रयोग की वकालत की । तर्क और विचार मंथन का तो इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा । कई जगह संगठित इसाइयत से इस्लाम के भी खूनी संघर्ष हुए । इसाइयत भी धर्म के जगह संगठन का रूप ग्रहण कर चुकी थी । इसलिए उसमे स्वयं मे भी विस्तार के लिये हिंसा के प्रयोग की स्वीकृति की विकृति आ गई थी । इसाइयों ने आपस मे भी हिंसक टकराव किये, जिनमें कुसेड नामक टकराव तो विश्व विख्यात ही है । किन्तु सैद्धान्तिक रूप से जिस तरह इस्लाम ने धर्म प्रचार में हिंसा का समर्थन किया वैसा समर्थन इशुमशीह ने कभी नहीं किया । इस तरह कुछ सौ वर्षों में ही धर्म, वैदिक पद्धति से निकलकर जैन बुद्ध इसाइयत होता हुआ इस्लाम की हिंसा समर्थन तक गिरता चला गया ।

ऐसे ही समय में कार्ल मार्क्स आये । उन्होने महसूस किया कि यदि हिंसा, संगठन और सत्ता को एक साथ जोड दिया जावे तो सारी दुनिया को गुलाम बनाया जा सकता है । उन्होने समझा कि धर्म शब्द इस योजना मे बाधक होगा । अतः उन्होने हिंसा, संगठन और राज्य को एक साथ जोड़कर धर्म को अफीम घोषित कर दिया । हजरत मुहम्मद ने तलवार की प्रशंसा की तो मार्क्स ने बंदूक की नली को आधार बता दिया । वैदिक काल मे धार्मिक विद्वानों को राज्य से दूरी बनाने का स्पष्ट निर्देश था । जैन और बौद्ध काल तक यह सीमा रेखा बनी रही । इसाइयों ने कुछ धालमेल करके पोप को राज्य शक्ति के साथ जोड़ा । इस्लाम ने धर्म और राज्य शक्ति को खुलेआम जोड़कर एक खलीफा बना दिया, और साम्यवाद ने धर्म शब्द को अफीम बताकर राज्य शक्ति की पूर्ण तानाशाही को वैधता प्रदान कर दी । यदि धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा का आकलन किया जावे तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक हिंसा साम्यवादी संगठनो ने की है । इस्लाम या इसाइयत में ऐसी हिंसा अपना वर्चस्व बनाने तक ही सीमित रही और वर्चस्व के बाद वे आन्तरिक हिंसा से हट गये, किन्तु

साम्यवाद ने तो वर्चस्व बनाने के बाद भी ऐसी अभानवीय हिंसा की कि उनके कत्लेआम की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं । विजेता द्वारा विजित पर आंशिक अत्याचार तो साम्यवाद के पूर्व भी होता रहा है किन्तु साम्यवाद ने तो ऐसे अत्याचारों में सारी सीमाएँ ही तोड़कर रख दी थी ।

इस्लाम और साम्यवाद ने आतंक और राज्य शक्ति को सफलता का पर्याय बनाकर सफलता का सपना देखा था । और दोनों को आंशिक सफलता भी मिली । किन्तु इस्लाम को झटका दिया तुर्किस्तान के कमालपाशा ने और साम्यवाद को गोर्बाचोव ने । तुर्की में तो कमालपाशा सफल रहा किन्तु अन्य देशों पर उसका निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा । क्योंकि तुर्की का कोई विशेष प्रभाव अन्य इस्लामी राष्ट्रों पर नहीं था । दूसरी ओर गोर्बाचोव के परिवर्तन को साम्यवाद सम्हाल नहीं पाया और ताश के पत्ते के समान ढेर हो गया । चीन अकेला ही ऐसा है जिसने किसी तरह बीच का मार्ग निकाल कर अपनी जान बचाई है, अन्यथा वह भी बिल्कुल ही साफ हो जाता ।

भारत में ढाई हजार वर्ष पूर्व के मार्ग से लेकर बाद में हुए सभी परिवर्तनों के प्रयोग हुए । जैन और बौद्ध तो भारत में रहे ही । इस्लाम की तलवार और इसाइयत की करुणा ने भी भारत पर कई सौ वर्षों तक शासन किया । अर्ध साम्यवादी नेहरू जी ने भी छिपे रूप में सारा जोर लगा लिया किन्तु ये सब मिलकर भी हिन्दुत्व को भारत से समाप्त नहीं कर सके क्योंकि भारत एक मात्र ऐसी व्यवस्था से प्रेरित है जिसमें धर्म, सामाज्य और राज्य का बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व है । तीनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है तथा अलग अलग सीमाएँ हैं । न कभी संगठन को धर्म का आधार बनाया गया न ही समाज्य व्यवस्था का आधार । समाज्य में हिंसा का समर्थन तो सामाजिक आपात्काल को छोड़ कर पूरी तरह निषिद्ध ही था । राष्ट्रीय आपात्काल में समाज्य की भूमिका होती ही नहीं थी, किन्तु यदि सामाजिक आपात्काल भी होता और राज्य दुष्प्रवृत्तियों को रोकने में सक्षम नहीं होता था तब भी समाज्य राज्य को सहायता मात्र ही करता था । स्वयं हथियार नहीं उठाता था । स्वयं हथियार उठाने की नौबत तो तभी आती होगी जब दुष्ट प्रवृत्ति वाले ही शासक बनकर शराफत को पूरी तरह गुलाम बना ले और शराफत की सुरक्षा का कोई अन्य मार्ग न हो । कई सौ वर्षों की विदेशी गुलामी और तथा कथित स्वतंत्रता के बाद की साम्यवादी गुलामी के बाद भी भारत की समाज्य व्यवस्था आज तक समाप्त नहीं हुई यह आश्चर्यजनक ही है ।

किन्तु इतिहास बताता है कि सहन करने की एक सीमा तो होती ही है । जो हिन्दुत्व इतने कठिन दौर से सुरक्षित बचकर बाहर आ गया उसे भी अब संगठन और हिंसा की बीमारी हो गई है । जैन और बौद्ध का तो इस संबंध में कोई प्रभाव नहीं था किन्तु इसाइयत इस्लाम और साम्यवाद की सफलता को आदर्श मानकर हमारे ही कुछ लोग संगठन और हिंसा की वकालत करने में अपनी शक्ति लगाने लगे । एक बार तो ऐसा लगा कि भारत

का हिन्दुत्व भी संगठन और हिंसा के मार्ग पर चल पड़ेगा किन्तु शीघ्र ही फिर पुरानी हवाएँ बहनी शुरू हो गई, धर्म के नाम पर संगठन और बल प्रयोग का समर्थन करने वाले धीरे धीरे कमजोर होने लगे । अब तो भविष्य के लिये संकट टल गया लगता है ।

किन्तु भारत में समाज व्यवस्था को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है । इस्लाम और साम्यवाद के खूनी पंजे से बचने के लिये इसाई देशों के आधे अधूरे लोकतंत्र के साथ समझौता करना हमारी मजबूरी ही तो है अन्यथा कोई कारण नहीं था कि हम पश्चिम की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थान पर अपनी समाज व्यवस्था रूपी लोक स्वराज्य प्रणाली को नहीं अपना लेते । हजारों वर्षों का हमारा इतिहास रहा है कि हमने समाज को धर्म और राज्य से अलग और उपर माना । स्वतंत्रता के पूर्व से ही गांधी जी इसी मार्ग की कल्पना कर रहे थे किन्तु राज्य की भूख ने धर्म के नाम पर गांधी को मार्ग से हटा दिया और लोक स्वराज्य की अवधारणा आधे रास्ते ही भटक गई ।

अब साम्यवाद से पिण्ड छूट रहा है । शीघ्र ही नक्सलवाद भी समाप्त होगा ही क्योंकि अब उसे भारत में और आगे जाने की जगह नहीं है । इस्लामिक आतंकवाद भी दम तोड़ने लगा है, क्योंकि वह भी सफलता की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुका है । जैसा कि आतंकवाद की अन्तिम सीमा मानी जाती है, कि वह अन्त में अपने संरक्षकों पर भी आक्रमण कर देता है । भारत में नक्सलवाद द्वारा साम्यवाद पर आक्रमण तथा पाकिस्तान में उग्रवादियों द्वारा वही की सरकार से टकराव इसके स्पष्ट संकेत हैं । एक दो वर्षों में ही इन दोनों खतरों से मुक्ति मिल सकती है । किन्तु इन खतरों से मुक्ति की सभावना में लोक तंत्र का समर्थन भी तो कुआँ और खाई वाली बात को ही चरितार्थ करेगा । यदि लोक तंत्र का विरोध लोक स्वराज्य की स्पष्ट अवधारणा के साथ नहीं हुआ तो कोई तानाशाही भी लोकतंत्र का विकल्प बन सकती है, जो अधिक ही घातक होगी । अच्छा हो कि हम स्थायी समाधान की दिशा में चले जिसका अर्थ है, धर्म सामाज्य और राज्य का पृथक पृथक अस्तित्व अर्थात् सामाज्य सशक्तिकरण जैसा दो ढाई हजार वर्ष पूर्व भारत में था, और जो आज अतीत की याद रूप भी बचा दिख रहा है ।

(ख) "समाज टूट नहीं रहा, तोड़ा जा रहा है—

बजरंग मुनि

वर्तमान समय में परिवार व्यवस्था तथा समाज व्यवस्था टूट नहीं रही हैं बल्कि तोड़ी जा रही हैं शासन व्यवस्था सामाजिक एकता से खतरा महसूस करती रहती हैं और इसलिये वर्ग समन्वय को विद्वेष में बदलने में निरंतर लगी रहती है । उक्त बातें अम्बिकापुर अग्रसेन भवन में आयोजित ज्ञान कथा में सामाजिक शोधकर्ता बजरंग मुनि जी ने बताई ।

उन्होंने बताया कि समाज में सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, एक दैवी प्रवृत्ति वालो का और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वालो का। इनका संघर्ष सदा ही चलता रहता है जब 'राक्षसी' प्रवृत्ति वाले दुर्जन कमजोर होते हैं उसे सामान्यकाल कहते है तथा जब ऐसे लोग मजबूत होते है उसे सामाजिक आपात्काल कहते हैं । सामान्यकाल में धर्म, सत्य, चरित्र, नैतिकता आदि की भिन्न परिभाषा होती है किंतु आपात्काल में देश काल परिस्थिति अनुसार ये परिभाषाएँ बदल जाया करती हैं राम रावण युद्ध के समय भी आश्रमों से राम को हथियार मिलना यह सिद्ध करता है कि उस समय के आश्रम भी संकट काल से निपटने की तैयारी करते रहते थे। राम द्वारा मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस अथवा कृष्ण द्वारा देश काल परिस्थिति अनुसार सत्य की परिभाषा बदलना उसी का उदाहरण है। मुनि जी ने कहा है कि ऐसे संकट काल के लिये ही गीता में स्वधर्म अर्थात् अपना मार्ग स्वयं चुनने का उपदेश दिया गया । ऐसे संकट काल में महाजनो येन गते स पंथाः का मार्ग घातक होता है क्योंकि संकट काल में हम जिसे महाजन समझ रहे हैं वह धूर्त हैं या शरीफ यह निर्णय ही बहुत कठिन कार्य है। इस पहचान के लिये ही गीता में ज्ञान यज्ञ का महत्व बताया है जो एक लम्बी प्रक्रिया होते हुए भी है बहुत आवश्यक ।

मुनि जी ने बताया कि उन्होने पचपन वर्षों तक लगातार किये ज्ञान यज्ञ के आधार पर ही सामान्यकाल और आपातकाल का अंतर समझा है और उस अंतर के अधार पर ही समझा है कि वर्तमान समय पूरी तरह आपात्काल के समान है। आपात्काल की मुख्य पहचान यह है कि इसमें धूर्तता और बल प्रयोग को ही सफलता का मुख्य आधार मान लिया जाता है जो आज पूरी तरह बढ रहा है।

मुनि जी ने अंत मे कहा कि वर्तमान समय में समाज को एक जुट होकर आपात्काल का सामाधान करना चाहिये । आयोजक नंद राम अग्रवाल तथा लेखराज अग्रवाल ने घोषित किया कि कथा आगे भी जारी रहेगी।

## (ग)लोक पर भारी तंत्र,समाधान सिर्फ लोक स्वराज्य

भारत में लोक तंत्र फेल हो गया है, लोक पर तंत्र भारी पड रहा है, इसका एक ही सामाधान है, लोक स्वराज्य की स्थापना। सरकार सुरक्षा और न्याय अपने पास रखकर विकास सहित सभी काम गाँव और नगर को दे दें। नीतियो से ज्यादा सरकार की नीयत खराब है। हम चाहते है कि संविधान में संशोधन कर केन्द्र व राज्य के समान परिवार, गाँव और कस्बे के अधिकारो को सूची बद्ध किया जाये। जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मिले।

उक्त बाते लोक स्वराज्य के प्रेरक व रामानुजगंज नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बजरंग लाल अग्रवाल ने कही। वे अम्बिकापुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। पुनः रामानुजगंज से ही लोक स्वराज्य अभियान का शंखनाद करने जा रहे श्री अग्रवाल ने परिवार सम्पत्ति व धन का त्याग कर स्वयं को मुनि घोषित कर दिया है। लंबे चिंतन मनन के बाद पत्रकारों से अनुभव बॉट रहे श्री अग्रवाल जी ने कहा कि आज देश की समाज व्यवस्था संकट काल से गुजर रही है, धूर्तता या बल प्रयोग समाज पर भारी पड़ता जा रहा है। समाज न्याय सुरक्षा की तलाश में और ज्यादा धूर्तों के चंगुल में फंसता जा रहा है। पाँच प्रकार के अपराध चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, मिलावट, कमतौल धोखाधड़ी, जालसाजी और हिंसा या आतंक तथा छः प्रकार की समस्याएं भ्रष्टाचार, चरित्र पतन, साम्प्रदायिकता, जातीय कटुता, आर्थिक असमानता और श्रम शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे भी इनके रूकने के कोई लक्षण नहीं दिखते। राज्य, शिक्षा को प्रोत्साहित करता है तो ज्ञान को निरूत्साहित, न्याय की जगह विकास की बात की जाती है। धर्मगुरु विचारों की जगह श्रद्धा बढ़ाने में लगे रहते हैं। इसके दुष्परिणाम देखने के बाद भी इन विपरीत दिशाओं में सक्रियता अभी भी कायम है। इनके समाधान का दो मार्ग उन्होंने बताया कि पहला ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए सरकारी ग्राम सभा की बजाए उसका स्वरूप सामाजिक ग्राम सभा करना और आम नागरिकों के स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करना। इस दिशा में पहला कदम उन्होंने स्वयं उठाया है। केशव चौबे जी के नेतृत्व में रामानुजगंज ब्लॉक के 110 गाँवों में सरकारी पंचायत के साथ साथ 15 सदस्यों की सामाजिक ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा।

### कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(घ) प्रश्न— प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री भरत झुनझुनवाला ने वाराणसी में नरेगा की यह कहकर आलोचना की है कि इससे उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। श्री झुनझुनवाला ने कहा है कि नरेगा के प्रभाव से श्रम का मूल्य बढ़ रहा है, श्रमिक मिल नहीं रहे तथा परिणाम स्वरूप औद्योगिक या कृषि उत्पादन गिरना निश्चित है। सरकार को चाहिये कि इस नीति को बदल कर वह सारा धन उद्योग पतियों को अनुदान रूप में दे दे, जिससे उद्योगपति नये नये रोजगार के अवसर बढ़ा सकें। इससे स्थायी रोजगार का श्रृंखला होगा।

उत्तर— मुझे नहीं लगता कि भरत झुनझुनवाला सरीखे अर्थ शास्त्री ने ऐसी गलत बात कही होगी। या तो कोई संदर्भ भिन्न होगा या कुछ गलत छप गया होगा। और यदि उन्होंने यह बात इसी तरह कही है तो यह कथन पूरी तरह गलत और अमानवीय है। हो सकता है कि श्री भरत जी स्वयं पूर्व उद्योगपति होने के कारण उनका वह भाव जग गया हो।

उन्होंने जो कहा उसका यह भाग तो सच है कि नरेगा ने श्रम मूल्य बढ़ने में मदद की है। जो मजदूर अस्सी रूपये में भी दर दर भटक रहे थे उन्हें अब अस्सी से कुछ अधिक पर काम मिलने लगा है। बाजार में श्रम मूल्य बढ़ा भी है और बढ़ भी रहा है। अब या तो औद्योगिक उत्पादन को अपना लाभ कम करना होगा या उत्पादन का बिक्री मूल्य बढ़ाना होगा। औद्योगिक उत्पादन अथवा कृषि उत्पादन का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य न बढ़े इसलिये श्रम का गला घोंट दिया जाय यह अमानवीय तर्क किसी उद्योगपति का भले ही हो किंतु करोड़ों श्रमजीवियों का तो नहीं हो सकता। किसी बीमारी का टीका खोज लेने के प्रभाव से उस बीमारी की दवा बनाने वाली कम्पनियाँ पर बुरा असर होगा यह बहुत ही अमानवीय तर्क है।

हमें पहले अपना लक्ष्य पहचानना होगा। वर्तमान समय में आर्थिक असमानता कम करना हमारा लक्ष्य है। नरेगा आर्थिक असमानता कम करने में सहायक होगा। यदि इसके कारण कृषि उत्पादन या औद्योगिक उत्पादन का लागत मूल्य बढ़ता है तो उससे गरीबी रेखा से नीचे वालों को लाभ की अपेक्षा हानि बहुत कम होगी, जबकि सम्पन्न लोगों को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी।

यह बात भी विचारणीय है कि नरेगा से रोजगार उन्हीं को दिया जा सकता है, जिन्हें अन्य कहीं रोजगार न मिल पाया हो। नरेगा के अन्तर्गत श्रम मूल्य भी प्रचलित औद्योगिक अकुशल श्रमिक से कम है। समझ में नहीं आया कि जब उद्योगों में अकुशल श्रमिकों का वेतन सौ रूपया से अधिक ही है और नरेगा में सौ रूपया ही है तो उद्योगों पर क्या फर्क होगा। मान लीजिये कि हमारे पास चालीस लोगों का रोजगार एक सौ तीस रूपया प्रतिदिन का है। काम करने को सत्तर लोग तैयार हैं। यदि उद्योगों द्वारा चालीस को काम देने के बाद शेष तीस को नरेगा के अन्तर्गत सौ रूपये का काम दे दे तो उद्योग जगत क्यों चिन्तित है। चिन्ता का मतलब तो यही है कि पहले उद्योग जगत रिकार्ड में एक सौ तीस दिखाकर वास्तव में सत्तर देता होगा। अब नरेगा ने उन्हें सौ से उपर देने हेतु मजबूर किया। अब वे चिल्ला रहे हैं। उनकी बात में तो दम नहीं है। इसलिये भरत जी सरीखे विश्वसनीय अर्थ शास्त्री के द्वारा यह बात कहलाई गई। भरत झुनझुनवाला एक सम्मानित विश्वसनीय अर्थ शास्त्री है। उन्हें तो कम से कम ऐसी बात नहीं ही कहनी चाहिये।